रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26052023-246112
SG-DL-E-26052023-246112

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2023/ ज्येष्ठ 4, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 72
No. 160]	DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2023/JYAISHTHA 4, 1945	[N. C. T. D. No. 72

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

फा. सं. 1(866)/एचआर–पैरा/स्वा0 एवं परि0कल्या0/2020/3635.—भारत का राजपत्र के खण्ड 3(i) भाग–II में 13 जुलाई 1959 को प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 18 जुलाई , 1959 की जीएसआर सं. 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वरिष्ठ रेडियोथैरेपी तकनीशियन के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(i) इन नियमों को वरिष्ठ रेडियोथैरेपी तकनीशियन भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाये।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा **वेतन मैट्रिक्स में स्तर** इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव.**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसुची

1.	**पदनाम**	:	वरिष्ठ रेडियोथैरेपी तकनीशियन
2.	**पदों की संख्या**	:	1 *(2023) (*इसमें परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।)
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय, समूह 'ग'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर –5 (29,200–92,300/–रू0)
5.	**क्या पद चयन अथवा गैर चयन है।**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
11.	**यदि पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः** सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500 – 81100/–रू0) में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित कनिष्ठ रेडियोथैरेपी तकनीशियन में से । **टीपः**–जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द सरकार/राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारीः– क. (i) मूल संवर्ग या विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

			(ii) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखने वालेः– (i) 10 + 2 अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित समकक्ष (ii) दो वर्षीय रेडीयेशन थैरेपी टैक्नोलॉजिस्ट अथवा रेडियोथैरेपी में इन्फील्ड ट्रेनिंग सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा सक्षम प्राधिकरण (एईआरवी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम विषयवस्तु पर आधारित समकक्ष, अथवा रेडियोथैरेपी तकनीशियन में डिप्लोमा या रेडियोथैरेपी तकनीशियन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अथवा एम.एस.सी. (रेडियोथैरेपी टैक्नोलॉजी), या मेडिकल रेडियोथैरेपी टैक्नोलॉजी में डिप्लोमा , अथवा बी0एस0सी0 मेडिकल टैक्नोलॉजी (रेडियोथैरेपी) , अथवा बी0एस0सी0 रेडियोथैरेपी , अथवा रेडियोथैरेपी टैक्नोलॉजी में एडवांस डिप्लोमा । जहां समरूप स्तर से नीचे के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु चयन के क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक हो । ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 (25500 – 81100/–रू0) में तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारण हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले विभागीय कनिष्ठ रेडियोथैरेपी तकनीशियन बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय हैं । यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदरवार का चयन होता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा । (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी)।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति** : 1. प्रधान सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, रा0रा0क्षे0दि0स0 – अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव / सचिव , स्वा0 एवं परि0 कल्या0 वि0, रा0रा0क्षे0दि0स0 – सदस्य 3. उप सचिव (श0वि0), रा0रा0क्षे0दि0स0 – सदस्य **टीप** : यदि समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के , समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य पदोन्नति पर विचार करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**		लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

दिनेश कुमार गोंदयान, उप सचिव (स्वा. एवं परि.कल्याण)

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 25th January, 2023

F. No. 1(866)/HR-Para/H&FW/2020/3635.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, GSR No. 840 Dated 13th July 1959 published in Part-II section 3 (i) of Gazette dated 13th July, 1959 of India the Hon'ble Lt. Governor of the National Capitol Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Radiotherapy Technician in the Department of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement**.— (i) These rules may be called the Senior Radiotherapy Technician Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Pay Level in the Pay Matrix**.—The number of the said post, their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be specified in column (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** .—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications**.—No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories on persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time.

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Name of Post	**Number of Post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether Selection post or non-selection post**
Senior Radiotherapy Technician	01* (2023) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group 'C',	Level-5 (Rs. 29200 - 92300/-)	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Age limit for direct recruits	**Education and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees**	**Period of Probation, if any**
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by Deputation/ Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which promotion /Deputation / Absorption to be made**	**If a DPC exists what is its composition**	**Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments**
100 % by Promotion failing which by deputation	**<u>Promotion</u>** From Junior Radiotherapy Technician with 05 years regular service in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81100/-) as per 7th CPC. **Note :** "Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **<u>Deputation</u>** Officers of the Central/State Govt. and Union Territories:- (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With 05 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the scale of Level 4 of Pay matrix as per 7th CPC or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications: (i) 10+2 or equivalent with Science as a subject from a recognized Board and (ii) Two years' radiation therapy technologists' or equivalent based on the minimum course content prescribed by the competent authority (AERB), from a recognized institution with infield training in radiotherapy;**<u>or</u>** Diploma in Radiotherapy Technician;**<u>or</u>** Post Graduate Diploma in Radiotherapy Technician;**<u>or</u>** MSc.(Radiotherapy Technology); **<u>or</u>** Diploma in Medical Radiotherapy	Group 'C' DPC for promotion :- 1. Principal Secretary/ Secretary, PWD, Govt. of NCT Delhi: **Chairman** 2. Pr. Secretary/Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of NCT Delhi: **Member** 3. Deputy Secretary (UD), Govt. of NCT Delhi: **Member** **Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as a chairman in case the notified chairman of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.**	Not Applicable

	Technology;**<u>or</u>** B.Sc. Medical Technology (Radiotherapy);**<u>or</u>** B.Sc. Radiotherapy;**<u>or</u>** Advance Diploma in Radiotherapy Technology. *Where it is necessary to extend the field of selection for deputation to posts below the analogouslevel. **Note :** The departmental Junior Radiotherapy Technician **in the level 4, Rs. 25,500-81,100/- in the pay matrix as per 7th CPC** with 05 years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organization/department of the central govt. shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)		

By Order and in the Name of Lt. Governor

National Capital Territory of Delhi,

DINESH KUMAR GONDYAN, Dy. Secy. (Health & Family Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.05.26 22:19:15 +05'30'